मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क...../2018/डी.एम.सी./चार भोपाल, दिनांक जुलाई, 2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषयः—मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 का पालन करने बाबत्।

=0=

विभागीय अधिसूचना क. 1222—09—डी.एम.सी.—ब—7—चार दिनांक 20 नवम्बर, 2009 से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 (संशोधित) बनाये गये हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत् राज्य शासन द्वारा उधारों तथा उन पर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये प्रत्याभूति दी जाती है।

2/— राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ प्रकरणों में कतिपय संस्थाओं द्वारा सीधे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को राज्य शासन की शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए बगैर शासकीय प्रत्याभूति वित्त विभाग से प्राप्त किये, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया गया है तथा तत्पश्चात संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। यह नियमानुकूल नहीं है। उक्त नियमों में गारंटी जारी करने के पूर्व निम्नानुसार प्रकिया सुनिश्चित की जाना आवश्यक है:—

अ. नियम 2 के उपनियम (तीन) के अनुरूप प्रशासकीय विभाग उधार लेने वाली संस्था के अंतिम तुलनपत्र या अन्य अभिलेख की परीक्षा से अपना समाधान करेगा कि क्या उधार की प्रत्याभूति दी जानी चाहिए या नहीं। प्रशासकीय विभाग का समाधान होने के पश्चात मामले को वित्त विभाग को छानबीन तथा सहमति के लिए अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाना होगा।

ब. नियम 2 के उपनियम (चार) के अनुरूप प्रशासकीय विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग मामले की परीक्षा करेगा और उधार लेने वाली संस्था वित्तीय रूप से अच्छी होने का समाधान होने तथा प्रत्याभूति देने में कोई जोखिम अंतर्वलित नहीं होने पर प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा।

स. नियम 2 के उपनियम (पांच) के अनुरूप वित्तीय सहमति के पश्चात विभाग द्वारा मंत्री–परिषद् आदेश प्राप्त किये जाने होंगे। मंत्रि–परिषद् आदेशानुसार शासकीय प्रत्याभूति के स्वीकृति आदेश जारी करने के लिये प्रशासकीय विभाग द्वारा मामला वित्त विभाग को भेजा जाना होगा, जिसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा प्रत्याभूति स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा।

3/– उपरोक्त नियमों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति जारी करने हेतु नियमों में उल्लेखित उपरोक्त प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। अतः, सभी विभागों को परामर्श दिया जाता है कि नियमों में निर्धारित प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी विभाग के अधीनस्थ कोई संस्था उक्त नियमों से हटकर किसी बैंक/वित्तीय स्थापना को शासकीय प्रत्याभूति का आश्वासन देती हे तो ऐसा आश्वासन नियमों के अंतर्गत नहीं होने से मान्य नहीं किया जायेगा और बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त ऐसे ऋण के लिए संबंधित बैंक/संस्थाएं स्वंय उत्तरदायी होंगी।

4/– **प्रत्याभूति फीस–** प्रत्याभूति फीस समय–समय पर सरकार द्वारा विहित की गई दरों एवं रीति के अनुसार तथा विहित समयावधि की भीतर उधार लेने वाली संस्था से प्रभारित की जायेगी, प्रत्याभूति फीस की राशि उधार लेने वाली संबंधित संस्था द्वारा शासकीय खाते में "शीर्ष –0075– अन्य प्रशासनिक सेवायें–108– गारंटी फीस" के अधीन जमा की जावेगी। यह राशि जमा करने की जानकारी संबंधित संस्था द्वारा प्रशासकीय विभाग के माध्यम से नियमित रूप से वित्त विभाग को भेजी जावेगी।

5/– **प्रशासकीय विभाग में अभिलेख का रखा जाना** – संबंधित प्रशासकीय विभाग जारी की गई समस्त प्रत्याभूतियों का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें प्रतिसंदाय की नियत तारीखें, वह तारीखें जिस पर प्रतिसंदाय वास्तविक रूप से किया गया है तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि सरकारी हित को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक समझी जाये, दर्शायी जायेगी, संबंधित प्रशासकीय विभाग शासकीय प्रत्याभूति के अधीन प्राप्त ऋण एवं ऋण की किश्तों के भुगतान अथवा उनमें चूक की जानकारी तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराएगा।

6/— सभी विभागों से अनुरोध है कि वे विभाग के अधीनस्थ (से संबद्ध) समस्त संस्थाओं को मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 (संशोधित) के प्रावधानों से अवगत कराते हुए इनका पालन सुनिश्चित करने हेतु यथोचित निर्देश जारी करें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19/7/2018

(डॉ0 मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 2219 / 2018 / डी.एम.सी. / चार भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), म0प्र0शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म0प्र0 भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, म0प्र0।
8. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक, म0प्र0।
9. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म0प्र0।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग